<u>न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)/ जे०एम० जलेसर, एटा</u>

उपस्थित: श्री मोहित कुमार (JO Code- UP 4823) उ०प्र० न्यायिक सेवा

वाद संख्या/एफ०आर० संख्या– 04/2026

अनुज कुमार **–बनाम–** देवांश

अपराध संख्या– 33/2025
धारा– 123 बी०एन०एस०
थाना– सकरौली, जिला एटा

<u>दिनांक 07.04.2026</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी मुकदमा उपस्थित।

उक्त वाद में संबंधित थाना पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, जिस पर वादी की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई है। वादी ने मुकदमा स्वंय न्यायालय में उपस्थित होकर संक्षिप्त में कथन किया है कि मैं एफ आर नं० 04/2026 में वादी हूँ। मुझे गलत फहमी हो गयी थी कि मेरे भाई अंकुश को मेरे ही गांव का लड़का देवांश पुत्र नरेश कुमार ने शराब में जहर पिलाई थी, जबकि मेरे भाई की तबियत पहले से ही ठीक नहीं था। विवेचना के दौरन विवेचक महोदय ने उक्त मुकदमें में अन्तिम आख्या लगा दी है। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने से वादी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अन्तिम आख्या स्वीकार करने की कृपा करें।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामले में मु० अ० सं० 33/2025 में विवेचक द्वारा इस आशय की अंतिम आख्या दाखिल की गई है कि विवेचना के मध्य बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल, विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा से प्राप्त माल परीक्षण रिपोर्ट में किसी भी रासायनिक विष का होना नहीं पाया गया। विवेचना से किसी आराधिक घटना का होना नहीं पाया गया। अब तक की विवेचना से ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुई जिससे नामित का चालान किया जा सके। अतः साक्ष्य के अभाव में मुकदमा उपरोक्त की विवेचना द्वारा अन्तिम रिपोर्ट सं० 22/2025 दिनांक 05.10.2025 को समाप्त की जाती है।

विवेचक द्वारा विवेचना कर अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई है जिस पर वादी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई। वादी का न्यायालय में दिनांक 14.03.2026 को बयान अंकित किया गया है। उक्त बयान में भी वादी ने यह कथन किया है कि अंतिम आख्या स्वीकार होने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। वादी मुकदमा ने स्वंय न्यायालय में उपस्थित होकर इन तथ्यों की पुष्टि की है।

ऐसी स्थिति में विवेचक द्वारा की गयी विवेचना सही एवं निष्पक्ष प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>–आदेश–</u>

विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या संख्या 22/2025 दिनांक 05.10.2025 स्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मोहित कुमार)
सिविल जज (जु०डि०) /
जे०एम०, जलेसर, एटा।
(JO Code- UP 4823)